मीडिया समन्वय कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति 21 फरवरी 2017

बेआसरा बच्चों के लिए जेएमआई में खुला राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र

देश में लगभग दो करोड़ बेआसरा बच्चों की देख–भाल में योगदान करने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक बड़ी पहल करते हुए आज '' फॉस्टर केअर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र '' : एनआरसीएफसी : खोलने की घोषणा की। यह केन्द्र जेएमआई में पहले से ही कार्यरत 'बचपन विकास एवं अनुसंधान केन्द्र ' विभाग ने ब्रिटेन की संस्था 'रेनबो फॉस्टरिंग ' के सहयोग से गठित किया है। देश में किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह की यह पहली पहल है।

यह फॉस्टर केअर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र एक सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाएगा। ।

इस बारे में जेएमआई और ब्रिटेन के एनजीओ 'रेनबो फॉस्टरिंग ' के बीच एक सहमति पत्र पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर हुए हैं ।

यह केन्द्र बेआसरा और यतीम बच्चों के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थानों को प्रशिक्षण भी देगा। इसके लिए समय–समय पर गोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे।

इस अवसर पर जेएमआई में आज '' परिवार सशक्तिकरण : वर्तमान विधाई खाके में वैकल्पिक दस्तूर '' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसमें बेआसरा बच्चों का पालन पोषण करने वाले माता–पिता भी हिस्सा ले रहे हैं।

जेएमआई के कुलपति प्रो तलत अहमद ने कहा कि जामिया बेआसरा और यतीम बच्चों की मदद करने के लिए इस तरह की पहल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जामिया की इस पहल का देश के अन्य विश्वविद्यालय भी अनुसरण करेंगे।

इस केन्द्र के लिए जेएमआई अपनी जगह और अन्य ढांचागत ज़रूरतों को मुहैया कराएगा जबकि ब्रिटेन का रेनबो फॉस्टरिंग संगठन इसे विशेषज्ञ ज्ञान एवं अन्य संसाधनों की ज़रूरतों को पूरा करेगा।

प्रो अहमद ने इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम में अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा , '' हमारे देश में बेआसरा बच्चों के पालन पोषण : फॉस्टर : को अभी ठीक से नहीं समझा जाता है। पालन पोषण गोद लेने से अलग चीज़ है। पालन पोषण अस्थायी चीज़ है जिसमें कोई परिवार कुछ समय के लिए किसी बेआसरा या यतीम बच्चें के लालन पोषण की जिम्मेदारी लेता है। ''

रेनबो यूके के सीईओ और जेएमआई के पूर्व छात्र एजाज़ अहमद ने कहा कि भारत का समाज प्राचीन समय में बेआसरा लोगों की सहायता करने में बहुत उदार रहा है लेकिन आज के समय में आर्थिक स्थिति खराब होने, संयुक्त परिवार टूटने से बेसहारा बच्चों की वैसी देखभाल नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष स्तुति कक्कड़ ने कहा कि लोगों में यह जानकारी फैलाने की ज़रूरत है कि गोद लेने और पालन पोषण : फॉस्टर : में बहुत फर्क है। गोद लिए बच्चे को संपत्ति में भी अधिकार देना होता है जबकि फॉस्टर बच्चों का ऐसा हक नहीं होता है। उनकी बस कुछ निश्चित समय के लिए लालन पालन करने की ज़िम्मेदारी लेनी होती है।

'बचपन विकास एवं अनुसंधान केन्द्र ' के विभागाप्रमुख प्रो जुबेर मिनाई के संबोधन से दो दिवसीय कार्यशाला की शुरूआत हुई । उन्होंने कहा कि देश में इतने बड़े पैमाने पर बेआसरा और यतीम बच्चे हैं और उनकी देखभाल किए जाने तथा उन्हें यौन शोषण और अपराध की

दुनिया से बचाने की सख्त जरूरत है। जेएमआई का इस दिशा में कदम उठाना सराहनीय कार्य है।

प्रो साईमा सईद

डिप्टी मिडिया कोआरडिनेटर
मोबाइल 9891227771